Pay (92)

दूरभाष: 2287241, 2287242
फैक्स: 0522-2267241

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक (रेलवे) उत्तर प्रदेश

पंचम तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक:-पीआर-30-212/11 (7366) दिनाँक-जुलाई 25 ,2013

समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवे,
उत्तर प्रदेश।

ट्रेनों में यात्रा के दौरान महिलाओं से छेड़छाड़ व अभद्रता की शिकायतें निरन्तर मिल रही है ऐसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने एवं वैधानिक कार्यवाही करने हेतु समय-समय पर इस मुख्यालय से निर्देश निर्गत किये गये हैं। इन सभी का अध्ययन करते हुए उन निर्देशों पर गम्भीरता से कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता हैं। इस परिपेक्ष्य में महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे है जिनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेः-

1- रेलवे अधिकारियों से अनुरोध किया जाय कि कुछ विशेष ट्रेनों के एसी व जरनल कोचों की वीडियोंग्राफी कराये ताकि किसी अपराध के घटित होने के बाद अपराधी की शिनाख्त आसानी से की जा सके।

2- सभी महत्वपूर्ण एवं भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर रेलवे विभाग से अनुरोध कर सीसीटीवी कैमरे लगवाये जाय व जहाँ पहले से ही लगे है उसे देख लिया जाय कि वह काम कर रहें है या नहीं यदि नहीं तो ठीक करा लिये जाय।

3- मुरादाबाद अनुभाग में दृष्टि योजना के अतंर्गत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाये गये है जिसकी मानीटरिंग सेक्शन मुख्यालय से की जा रही है अन्य पुलिस अधीक्षक रेलवे, इस योजना की तरह अपने यहाँ सीसीटीवी की व्यवस्था करें।इसके लिए प्राइवेट फण्ड का सदउपयोग कर सकते है।

4- उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली सभी ट्रेनों के सभी कोचों में ट्रेन के रूट में ठहराव वाले रेलवे स्टेशनों के जीआरपी थानों के फोन नम्बर के स्टीकर लगाये जाय जिससे पीड़ित व्यक्ति तत्काल आवश्यकता पड़ने पर फोन कर पुलिस की सहायता प्राप्त कर सके इसी प्रकार रेलवे कन्ट्रोल रूम व अनुभागो के कन्ट्रोल रूम के भी नम्बर के स्टीकर डिब्बों में चिपकाये जाय।

5- रेलवे के महाप्रबन्धक व मण्डल रेल प्रबन्धको से अनुरोध कर सभी ट्रेनों में एक विशेष सीट संख्या जीआरपी के स्कोर्ट कर्मियों के लिए आवंटित कराया जाय जिससे यात्रियों को स्कोर्ट कर्मियों से सहायता लेने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

6- रेलवे के सभी वेण्डरों व अटेण्डेंटों का पुलिस द्वारा सत्यापन कराया जाय व अनाधिकृत वेण्डरों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।

7- स्टेशन परिसर में प्रवेश करने वाले अनाधिकृत रास्तों को रेलवे अधिकारियों की सहायता से बन्द कराया जाय।

8- महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में मात्र महिलाये ही यात्रा करें तथा इसकी आकस्मिक चेकिंग हो, जिससे उसमें पुरूष व अन्य असामाजिक तत्व प्रवेश न कर सकें। अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं लाउड हेलर द्वारा बार-बार महिला कोच के सामने उद्घोषणा कराई जाये कि कोई भी पुरूष महिला कोच में यात्रा न करें।

9- जिन मार्ग अथवा ट्रेनों में एम.एस.टी. होल्डर छात्रों व नियमित ले जाने वाले छोटे व्यवसायियों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड व छीटाकशी की शिकायतें प्रायः मिलती रहती है उन मार्गो पर स्थानीय पुलिस व आरपीएफ के सहयोग से बार-बार चेकिंग करा ली जाय तथा ऐसे लोगों को चिन्हित कर अभियोग पंजीकृत किया जाय तथा स्थानीय पुलिस की सहायता से उन गॉव व कस्बों का चिन्हित कर वहॉ जिम्मेदार लोगों की गोष्ठी कर स्थानीय अवॉछनीय लोगों को उक्त हरकतें रोकने के लिए समयझॉयें। वर्दी में पुलिस कर्मियों से आकस्मिक रूप से चेकिंग कराकर ऐसे तत्वों की धरपकड़ की जाय इसमें आरपीएफ व स्थानीय पुलिस का सहयोग लिया जाय।

10- दैनिक यात्रियों द्धारा की जाने वाली अभद्रता वे दुर्व्यवहार को रोकने हेतु महिला एवं पुरूष दैनिक यात्रियों में से कुछ जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर विशेष पुलिस अधिकारी बनाया जाय एवं उन्हे अलग से परिचय पत्र जारी कर उनसे सहयोग लिया जाय।

11- दैनिक यात्रियों द्वारा, जो अनाधिकृत रूप से आरक्षित डिब्बों जिसमें वातानुकूलित डिब्बे भी है में प्रवेश कर लिया जाता है इस पर सख्ती से अंकुश लगाया जाय जिससे वैध रूप से चल रहे यात्रियों का उत्पीड़न न होने पाये तथा सकुशल अपनी यात्रा सम्पन्न कर सकें।

12- प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में प्लेटफार्म न होने के कारण व ट्रेनो की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत् ट्रेनों को आउटर पर अन्धकार में खड़ा कर दिया जाता है, जहॉ लूट, चोरी व महिला उत्पीड़न की प्रवल सम्भांवना बनी रहती है ऐसे स्थानों पर हाईमास्ट लाइट लगायी जाय तथा जीआरपी/आरपीएफ के कर्मचारी तैनात किये जाय इन कर्मचारियों के लिए जाड़े, गर्मी व बरसात से बचने के लिए एक छोटा पुलिस सहायता केन्द्र का निर्माण किया जाये।

13- रेलवे द्वारा प्रारम्भ की गयी एकीकृत सुरक्षा योजना का समयबद्ध पालन, जिससे स्टेशनों पर सीसीटीवी/डीएफएमडी/एचएचएमडी/स्निफर डाग/बीडीडीएस के दस्ते तैनात हो सकें व सुरक्षा का वातावरण सुदृढ़ हो। यह भी परम् आवश्यक है कि जहॉ-जहॉ यह उपकरण लग गये है, उनकी ए0एम0सी0 अवश्य कराई जाये तथा आरपीएफ के कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिलाया जाये क्योंकि प्रशिक्षण के अभाव में तथा ए0एम0सी0 न होने के कारण बड़े-बड़े स्टेशनों पर लगाये गये डीएफएमडी/सीसीटीवी खराब पड़े है।

14- महत्वपूर्ण राजकीय रेलवे पुलिस के थानों पर महिला आरक्षी की नियुक्ति की जाय जो स्टेशन पर ट्रेन रूकने पर महिला डिब्बों में भी जाकर महिलाओं से सुरक्षा के सम्बन्ध वार्ता भी करें।

15- महिलाओं द्वारा थाने पर शिकायत लेकर आने पर थाना पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए उनके बताने के अनुसार यदि कोई अपराध बनता हो तो तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाय तथा शिकायतकर्ता महिला की बात उपलब्धता होने पर महिला आरक्षी से करायी जाय। आवश्यक हो तो उनक तत्काल मेडिकल परीक्षण व तथा 164 द.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज कराये जाय व उनकी शिकायतों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही भी करायी जाय।

16- चलती ट्रेनों में स्कोर्ट कर्मी जीआरपी/आरपीएफ को निर्देशित करें कि जहॉ महिल यात्री बैठी हो वहा पेट्रोलिग कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर लें जिससे चेन स्नेचिंग छेड़खानी आदि रोकी जा सके।

17- यदि कभी किसी एक्सीडेण्ट या अन्य के कारण से ट्रेनों का आवागमन बाधि होता है और रास्ते के छोटे स्टेशनों पर भी ट्रेन खड़ी कर दी जाती है तो ऐसी स्थि में स्थानीय पुलिस से सम्पर्क कर उन स्टेशनों पर पर्याप्त फोर्स लगया जाय नही तो व पर महिलाओं से दुर्व्यवहार, चोरी आदि की घटनाए घटित हो सकती है।

18- ड्यूटी पर किसी भी पुलिस कर्मी का नशा सेवन करना दण्डनीय है ड्यूटी नशा सेवन करने वाले व यात्रियों से दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मी के विरूद्ध कठ दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त कार्यवाहियो के लिए सम्बन्धित रेलवे व आरपीएफ के अधिकारियों से समन्व बना कर रखा जाय।

उपरोक्त आदेशों का पालन कड़ाई से कराया जाये।

(रिज़वान अहमद)
पुलिस महानिदेशक रेलवे
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि-1-पुलिस महानिरीक्षक रेलवे लखनऊ/इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2-पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे लखनऊ/इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।